झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य–324 / 2019 ..../ राँची, दिनांकः ....

झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एवं सुनिश्चित करने के लिए बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों / स्वयंसेवी संस्थाओं से विभिन्न सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सूचीकरण (Empanelment) हेतु आमंत्रण सूचना

1. झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग के द्वारा समय–समय पर वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई प्रक्षेत्रों में सिंचाई की संरचनाएँ निर्मित की गई हैं, जिनका भरपूर लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुकों की भागीदारी आवश्यक है। इन लाभुकों को उत्प्रेरित, प्रशिक्षित एवं सांगठनिक रूप से सुदृढ़ बनाये जाने हेतु एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जो विभागीय तंत्र एवं इन लाभुकों के बीच कड़ी का काम कर सके ताकि निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
2. उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र में काफी संख्या में चेकडैमों का निर्माण एवं मध्यम सिंचाई योजना / तालाब / आहर / बाँध का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। इन योजनाओं के समुचित उपयोग हेतु इन योजनाओं के लाभुकों के साथ विभागीय पदाधिकारियों के पारस्परिक समन्वयन की आवश्यकता है।
3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बतौर संसाधन संगठन (Resources Organization) अनुभवी, प्रतिष्ठित एंव स्वच्छ छवि वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों / स्वयं सेवी संस्थाओं से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उनके सूचीकरण (Empanelment) की आवश्यकता है ताकि ऐसे संस्थानों से समय–समय पर सहयोग प्राप्त करते हुए "जल उपयोगकर्त्ता संघों" को क्रियाशील एवं कारगर बनाया जा सके तथा समय–समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप अन्य सेवाएँ भी प्राप्त की जा सके।
4. सूचीबद्ध संस्थानों / संस्थाओं से आवश्यकतानुसार समय–समय पर निम्नांकित सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी :–

4.1 जल उपयोगकर्त्ता संघों को सम्यक् रूप से क्रियाशील करना एवं सांगठनिक रूप से सुदृढ़ करना;

4.2 योजना के विभिन्न अवयवों / संरचनाओं के रख–रखाव हेतु जल उपयोगकर्त्ता संघ के सदस्यों को प्रशिक्षित करना;

4.3 योजना से सम्बद्ध माईक्रोलिफ्ट को संचालित करने एवं उसके रख–रखाव के संबंध में प्रशिक्षित करना; तथा,

4.4 समय–समय पर विभाग की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रक्षेत्रों में आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करना।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सूचीकरण हेतु इच्छुक सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों / स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान राँची के नाम से रू0 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो राँची में भुगतेय होगा तैयार कर उनके कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

जल संसाधन विभाग की Website- wrdjharkhand.nic.in से भी यह प्रपत्र Download किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदन के साथ 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. **आवेदक संस्था की प्रथमतः निम्नवर्णित अर्हत्ताएँ होनी अनिवार्य है:–**

(i) संस्था का विधिवत् निबंधन एवं न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव,

(ii) विशेषज्ञों की उपलब्धता,

(iii) आधारभूत संरचना की उपलब्धता,

(iv) झारखंड में कार्यालय की उपलब्धता,

(v) विगत तीन वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदन की उपलब्धता,

(vi) विगत तीन वर्षो के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक 05 लाख रू0 की योजनाओं का कार्यान्वयन,

(vii) संस्था अथवा उसके किसी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

(viii) उपर्युक्त क्रम में संलग्न परिशिष्ट–I में वर्णित शर्त्तों एवं निदेशों के आलोक में परिशिष्ट–II से परिशिष्ट–VI में वर्णित प्रपत्रों के अनुसार आवेदन पत्रों को विधिवत् समर्पित करना अनिवार्य है।

7. आवेदक संस्था के द्वारा आवेदन की शर्तो को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सूचनाएँ / कागजात एक मुहरबंद लिफाफे में जमा किये जायेंगे, जिसपर **"झारखंड में समेकित सिंचाई व्यवस्था स्थापित एवं सुनिश्चित करने में सहयोग देने हेतु सूचीकरण के लिए आवेदन"** अंकित किया जायेगा।

8. आवेदक संस्था के द्वारा बतौर प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन के साथ मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के नाम से 2000/– रू0 का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाएगा, जिसे लौटाया नहीं जाएगा।

9. इच्छुक सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थानों / स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा दिनांक 19.09.2019 को 5.00 बजे तक अपने आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अभियंता प्रमुख–II के कार्यालय में जमा किये जायेगें।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों को दिनांक 20.09.2019 को 11.00 बजे इस प्रयोजन हेतु गठित तकनीकी समिति के द्वारा खोलते हुए तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन के समय आवेदक संस्थाओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

11. **जल संसाधन विभाग को उपरोक्त शर्त्तो में आवश्यकतानुसार समय–समय पर जनहित में परिवर्त्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**

12. कालक्रम में भी इच्छुक संस्थानों / संस्थाओं के द्वारा आवेदन विधिवत् जमा किए जा सकते है, जिनका इस प्रयोजन हेतु गठित उपर्युक्त तकनीकी समिति के द्वारा नियमित अंतराल पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

13. किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधोहस्ताक्षरी का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

NOTE – सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्थाओं के सूचीकरण (Empanelment) से संबंधित आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.wrdjharkhand.nic.in पर उपलब्ध है।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

पत्रांक–3/पी.एम.सी./कार्य/324/2019 813 **राँची, दिनांक–** 06/09/19

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एंव जल विज्ञान, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

06/09/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)